न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी,

उपस्थितः संजीव पाण्डेय, एच0जे0एस0।

जे0ओ0 कोड यू0पी0 1896

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या– 331/2024

CNR No. UPVR01-009576-2024

कन्हैयालाल यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी मकान नम्बर सी0–27/253, विवेकानन्द कालोनी, थाना चेतगंज, जनपद वाराणसी।

...निगरानीकर्ता।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार, बजरिये लोक अभियोजक (विपक्षी)

2– राजू वर्मा/राजीव मौर्य पुत्र रामेश्वर मौर्य निवासी सी0–27/272, काशी अनाथालय राज ग्रुप लहुराबीर वाराणसी, हाल पता राज टी०वी०एस० फाईनेंस कम्पनी शिवपुर वाराणसी।

3– बसन्त कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार मिश्रा, राज टी०वी०एस० फाईनेंस कम्पनी राज ग्रूप शिवपुर वाराणसी स्थायी पता सी0के0–13/60, थाना चौक वाराणसी।

4– कल्पजीत दीक्षित पुत्र जीवनदास दीक्षित निवासी राज ग्रूप टी०वी०एस० फाईनेंस कम्पनी शिवपुर वाराणसी/प्रबंधक राज टी०वी०एस० कम्पनी राज ग्रूप शिवपुर जनपद वाराणसी।

...विपक्षीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 5, वाराणसी द्वारा परिवाद सं0 170/2018, कन्हैया लाल बनाम राजू वर्मा वगैरह में पारित आदेश दिनांकित 20–08–2024 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में खारिज किया गया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का योजित किया कि वह यू० पी065 बी० पी० 1448 राज ग्रुप अधिकृत विक्रेता टी०बी०एस० मोटर कम्पनी शिवपुर वाईपास बाबतपुर रोड शिवपुर वाराणसी द्वारा बिक्री इन्वयस दिनांक 27/01/2014 नकद मु0 2,481 रुपया भुगतान करने के पश्चात मोटर साइकिल आसान किश्तो में

Digitally signed by SANJIV PANDEY
Date: 2025.04.08 10:27:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(प्राप्त किया जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 30/01/2014 को हुआ। उसके द्वारा लगातार इण्डियन ओवरसीज बैंक लहुराबीर, वाराणसी से खाता संख्या 037001000080395 सेविंग एकाउण्ट से प्रत्येक माह में निर्धारित तिथि पर भुगतान करता रहा है। उसके द्वारा भुगतान की राशि 1,634 रुपया कम्पनी को अदा करता रहा है जो कम्पनी व उसके रिकार्ड में है। वह बीमार व शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के नाते चार किश्त का भुगतान नही कर पाया। कम्पनी के फाइनेन्स एजेण्ट राजू वर्मा अभियुक्त सं० 1 बसन्त कुमार अभियुक्त सं0 2 तथा कम्पनी के फाइनेन्स मैनेजर एक दूसरे की साजिश में रहते हुये परिवादी के घर दिनांक 30–10–2015 को प्रातः 11.00 बजे आये और बहला फुसलाकर परिवादी की गाडी को मन्दिर दर्शन जाने के लिये मांगकर ले गये तथा बुरी नियत से साजिश के तहत परिवादी की गाडी को कम्पनी में जमा कर दिये तथा इस बात की कोई भी जानकारी नही दिये। परिवादी अपनी गाडी की तलाश में कम्पनी गया तो पता चला कि गाडी की किश्त न जमा करने के कारण प्रबन्धक के आदेश से गाडी खडी एवं सीज की गयी है और चार किश्त अन्तिम तौर पर जमा करोगो तो मोटर साइकिल मिल जायेगी। कम्पनी के एजेण्ट द्वारा प्रार्थी के साथ दुर्व्यहार किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण रुपया दिया जा चुका है। कम्पनी एवं एजेण्ट की साजिश से बगैर जानकारी दिये षडयन्त्र के तहत प्रार्थी की गाडी को कम्पनी ने किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेच दिया है जब कि आर०टी०ओ० तथा अन्य कागजात में स्वामी की हैसियत से प्रार्थी का नाम अंकित चला रहा है जो अभी तक कायम है। पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

3– प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 09, वाराणसी द्वारा दिनांक 20–04–2016 को आदेश पारित करते हुए थानाध्यक्ष चेतगंज, वाराणसी को आदेशित किया कि वे प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों के प्रकाश में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करें। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 09, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20–04–2016 के आधार पर मु0अ0सं0 98/2016, अंतर्गत धारा 406 भा0दं0सं0, थाना चेतगंज, वाराणसी पर पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरांत उक्त प्रकरण में वादी द्वारा लगाया आरोप साक्ष्य संकलन के उपरांत प्रमाणित न होने का उल्लेख करते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी। अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला प्रकीर्ण वाद में रूप में दर्ज किया गया और वादी को नोटिस जारी की गयी। वादी द्वारा दिनांक 30–03–2019 को न्यायालय में इस आशय का प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र दाखिल किया गया कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से मिलकर वादी मुकदमा व गवाहान ने जो बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 दिया था उसे केस डायरी में न लिखकर और बयान के तथ्यों को छिपाकर गलत ढंग से मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी है। याचना की गयी कि अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को धारा

406 भा0दं0सं0 में तलब कर दण्डित किया जाये।

4— वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना—पत्र को सुनने के उपरांत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 9, वाराणसी द्वारा आदेश दिनांकित 03—06—2019 पारित करते हुए विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट निरस्त की गयी और प्रोटेस्ट प्रार्थना—पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज होने के पश्चात परिवादी द्वारा स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. एवं धारा 202 के तहत पी. डब्लू.—1 के रूप में राजन देव एवं पी.डब्लू.—2 के रूप में अरविन्द यादव को परीक्षित कराया गया। अवर न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के उपरांत आदेश दिनांकित 20—08—2024 पारित करते हुए निगरानीकर्ता के परिवाद पत्र को अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

5— निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 20—08—2024 विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय एवं तथ्य एवं कानून के विरूद्ध पारित किया गया हैं। निगरानीकर्ता के वाहन का पंजीयन संख्या— यू०पी० 65 बी०पी० रू 1448 था जिसकी किस्त का हिसाब मांगनें निगरानीकर्ता फाईनेंस के आफिस पर गया तथा हिसाब—किताब बैंक का डिटेल देने का वायदा किया गया। फाईनेंसर द्वारा निगरानीकर्ता को कभी भी हिसाब—किताब का डिटेल नहीं दिया जबकि केवल 1634/— रूपया प्रतिमाह की केवल तीन किस्त ही शेष थी जिसको देकर निगरानीकर्ता चाहता था कि वह सम्पूर्ण रूपया भुगतान करके एन०ओ०सी० कम्पनी से प्राप्त कर अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से STAR SPORT CV TIES T.V.S. मोटर कम्पनी लिमिटेड T.V.S. CREDIT SER LTD-वाराणसी का नाम कटवा लेवे लेकिन कम्पनी ने कोई हिसाब—किताब नहीं दिया बल्कि गुण्डई के बल पर वाहन मोटर साईकिल टी०वी०एस० को निगरानीकर्ता से छीन लिया जो अवैधानिक है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निगरानीकर्ता का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में निगरानीकर्ता का मुकदमा दिनांक 20—05—2016 को अर्न्तगत धारा 406 भा०द०वि० में पंजीकृत हुआ लेकिन विवेचक ने विपक्षीगण/मुलजिमान के प्रभाव में आकर सही विवेचना नहीं किया बल्कि फाइनल रिर्पोट लगा दिया। निगरानीकर्ता ने न्यायालय में फाइनल रिर्पोट के खिलाफ प्रोटेस्ट पेटिशन दाखिल किया जो परिवाद के रूप में केस नं0—170/2018 कन्हैयालाल बनाम राजू वर्मा के रूप पंजीकृत हुआ और मुकदमा की कार्यवाही परिवाद के रूप में संचालित हुई। परिवादी पी०डब्लू0—1 का बयान अर्न्तगत धारा—200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में हुआ, धारा—202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पी०डब्लू0—2 अरविंद व पी०डब्लू०—3 राजनदेव का बयान हुआ तीन गवाहों ने निगरानीकर्ता के केस को साबित किया हैं लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट साहब ने निगरानीकर्ता एवं गवाहों के बयान को नजर अंदाज करते हुये

बयानों का सम्यक् रूप से अवलोकन न करते हुये निगरानीकर्ता का परिवाद निरस्त कर दिया। याचना की गयी है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय की पत्रावली तलब की जाये तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाये।

6– पत्रावली में निगरानी पंजीकृत होने के उपरांत से कई अवसर दिये जाने के बावजूद निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी सं0 2 व 4 पर दिनांक 10–01–2025 को जरिये पंजीकृत डाक तामिला पर्याप्त उपधारित किया गया तथा विपक्षी सं0 03 पर दिनांक 19–02–2025 को जरिये इंकारी तामिला पर्याप्त उपधारित किया गया। उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का योजित किया गया कि उसने वाहन सं0 यू० पी065 बी० पी० 1448 राज ग्रुप अधिकृत विक्रेता टी०बी०एस० मोटर कम्पनी शिवपुर वाईपास बाबतपुर रोड शिवपुर वाराणसी से नकद मु0 2,481 रुपया भुगतान करने के पश्चात किश्तो में प्राप्त किया तथा अपने सेविंग एकाउण्ट से प्रत्येक माह में निर्धारित तिथि पर भुगतान करता रहा। बीमार व विकलांग होन के कारण वह चार किश्त का भुगतान नही कर पाया तो कम्पनी के फाइनेन्स एजेण्ट राजू वर्मा व बसन्त कुमार कम्पनी के फाइनेन्स मैनेजर एक दूसरे की साजिश में रहते हुये परिवादी के घर आये और उसकी गाडी को मन्दिर दर्शन जाने के लिये मांगकर ले गये तथा कम्पनी एवं एजेण्ट की साजिश से बगैर जानकारी दिये निगरानीकर्ता की गाडी को कम्पनी ने किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेच दिया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश दिनांकित 20–04–2016 पर थाना चेतगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचनोपरांत उक्त प्रकरण में वादी द्वारा लगाया आरोप साक्ष्य संकलन के उपरांत प्रमाणित न होने का उल्लेख करते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी। उक्त अंतिम रिपोर्ट पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र दाखिल किया गया जो परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। परिवादी द्वारा स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. एवं धारा 202 के तहत पी.डब्लू.–2 के रूप में अरविन्द यादव एवं पी.डब्लू.–3 के रूप में राजन देव को परीक्षित कराया गया।

8– परिवादी/निगरानीकर्ता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200दं0प्र0सं0 में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 30–10–2015 को राजू वर्मा और बसंत कुमार सुबह 11.00 बजे आये थे बोले गाड़ी दो दर्शन करके आ रहे थे। मै इनको जानता था। यही दोनो ने मिलकर मुझे गाड़ी दिलवाया था। शाम को गाड़ी नहीं आई। ये लोग कम्पनी में काम करते है। राजीव वर्मा एजेंट है तथा बसंत कुमार पैसा वसूल करते है। फोन नहीं उठाया। मैं कंपनी गया तो बताया गाड़ी सीज हो गयी है। 4 महीने की किश्त नहीं दिया था इसलिये जमा कर ली गयी है। यह भी कथन किया है कि मैने उसको

55,127 रूपये दे दिया है। 19 किश्त परिवादी द्वारा दी जा चुकी है। 4 किश्त इसलिये नहीं दे पाया क्योंकि बीमार हो गया था। पी0डब्लू0 2 अरविन्द यादव ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में मुख्य रूप से कथन किया है कि कन्हैया लाल 19 किश्त कंपनी में जमा कर दिये थे। डाउन पेमेंट 24081/– रूपये कंपनी में जमा कर दिये थे। गाड़ी कन्हैया लाल के घर पर थी। घटना के दिन दिनांक 30–10–2015 को दिन में 11 बजे के करीब कम्पनी के दो कर्मचारी जिनका नाम राजू वर्मा व बसन्त जिसको मैं जानता हूं। जब ये लोग कन्हैया लाल के घर आये तो वहां मैं मौजूद था। ये लोग कन्हैया लाल से गाड़ी मांगने लगे। ये गाड़ी देने को तैयार नहीं थे लेकिन कंपनी के ये दोनो कर्मचारी षडयंत्र रचकर मंदिन में दर्शन करने के बहाने बहला फुसलाकर गाडी यह कहकर ले गये कि दर्शन करके हम लोग दो घण्टे में गाड़ी घर पर पहुंचा देंगे। पी0डब्लू0 3 राजन देव ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में मुख्य रूप से कथन किया है कि मै परिवादी कन्हैया लाल यादव को जानता पहचानता हूं। इन्होने एक टी0वी0एस0 स्पोर्ट मोटरसाइकिल किश्त पर ली थी। यह किश्त अपने बैंक खाते से देते थे। यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 30–10–2015 को 11.00 बजे दिन में कंपनी के एजेंट राजू वर्मा व वसंत कुमार कन्हैया लाल के घर आये। मैं वहां मौजूद था। दोनो एजेंट कन्हैया लाल से गाड़ी मांगने लगे। कन्हैया लाल गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं थे। कंपनी वालों ने कहा कि गाड़ी दे दीजिए हम लोग दर्शन करके वापस कर देंगे। कन्हैया लाल उनके बहकावे व षडयंत्र मे आकर गाड़ी दे दिये। यह भी कथन किया गया है कि दूसरे दिन पता चला कि गाड़ी कम्पनी में जमा हो गयी है।

9– उपरोक्त परिवाद के सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा सम्बन्धित थाने से अंतर्गत धारा 202(1) दं0प्र0सं0 में जांच आख्या तलब की गयी। उक्त जांच आख्या अवर न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में सम्बन्धित थाने की जांच आख्या अंतर्गत धारा 202(1) दं0प्र0सं0 का उल्लेख किया है जिसके अनुसार आवेदक द्वारा अपने लोन स्वीकृत की किस्त 23 में मात्र 19 किस्त 1634 रुपए के हिसाब से जमा किया गया था। चार किस्त नियत समय पर जमा नहीं करने के संबंध में कंपनी द्वारा वादी का वाहन अपने अधिग्रहण में लिया गया था तथा पूरी किस्त जमा करने हेतु नियमानुसार वादी को नोटिस जरिये डाक सूचित कराया गया। फिर भी वादी द्वारा अग्रिम किस्त ना जमा करने के फलस्वरूप कंपनी द्वारा समय–समय पर वादी मुकदमे को बकाया किस्त जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी होने के पश्चात वादी द्वारा बकाया किस्त जमा नहीं किया गया। फलस्वरूप कंपनी को दिनांक 30–10–2015 को गाड़ी नंबर यूपी 65 बीपी 1448 को वादी द्वारा स्वयं कंपनी को सुपुर्द कर दिया गया। दिनांक 15–12–2015 को कंपनी द्वारा उक्त मोटरसाइकिल बेचकर अपना बकाया किस्त की अदायगी कर ली गई जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। अवर न्यायालय ने यह मत भी व्यक्त किया है कि परिवादी ने अपने स्वयं के बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है

कि उसने 23 किश्तो में से 19 किश्ते जमा कर दी तथा चार किश्त वह बीमार पड़ गया था इसलिये जमा नहीं कर पाया। यहां परिवादी द्वारा स्वयं के द्वारा किये गये लोप का लाभ उसे नहीं दिया जा सकता।

10– उक्त विवेचन के प्रकाश में न्यायालय इस मत की है कि निगरानीकर्ता द्वारा फाईनेंस पर मोटरसाइकिल क्रय की गयी थी जिसके बाबत निगरानीकर्ता व फाईनेंस कंपनी के मध्य किश्तों की लिखा पढ़ी हुई। निगरानीकर्ता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में स्वयं स्वीकार किया है कि वह बीमार पड़ जाने के कारण 04 किश्त जमा नहीं कर सका। उक्त मोटरसाइकिल की संपूर्ण किश्त अदा करने की जिम्मेदारी निगरानीकर्ता पर थी। सम्पूर्ण धनराशि अदा न करने के कारण निगरानीकर्ता का वाहन कंपनी द्वारा अधिग्रहण में लिया गया तथा पूरी किश्त जमा करने हेतु नियमानुसार वादी को नोटिस जरिए डाक प्रेषित की गयी जिसके उपरांत भी निगरानीकर्ता द्वारा किश्त जमा नहीं की गयी तब कंपनी द्वारा दिनांक 15–12–2015 को उक्त मोटरसाइकिल बेचकर अपने बकाये किश्त की अदायगी कर ली गयी। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में कहीं भी यह तथ्य नहीं आया है कि वाहन कंपनी द्वारा उसकी मोटरसाइकिल बलपूर्वक ली गयी थी। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकर्ता का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 में निरस्त किया गया।

11– उपरोक्त विवेचक के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता, अवैधानिकता अथवा त्रुटि परीलक्षित नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश विधिक रूप से सही है। इसमे हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हे।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। तद्नुसार विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 5, वाराणसी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 20–08–2024 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति अवर न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये। तदुपरांत इस निगरानी की पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाये।

दिनांक–05–04–2025

(संजीव पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

JO Code-UP1896

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 05–04–2025

(संजीव पाण्डेय)

सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

Steno-Md Imran

JO Code-UP1896